

अनुभव प्रमाण पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सरपंच के लेटर हेड पर जारी किया जाता है।

अनुभव प्रमाण पत्र

मे. श्रीमती शर्मा (ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम).
ग्राम प्रधान/सरपंच का नाम प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती
उप. शेरगढ़ (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती
प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती (पिता/माता का नाम), निवासी
मो. शर्मा (ग्राम पंचायत का नाम), जिसका
नूर अहमद (आधार संख्या) है, ने हमारी
कमलपुर सुपौली (आधार संख्या) है, ने हमारी
अधार संख्या 8791581886 मे पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/प्लंबिंग
ग्राम पंचायत कमलपुर सुपौली मे रखरखाव मे न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मे प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियों मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।
यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये
जाते है तो इस सम्बन्ध मे विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए
मे स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक.....

